प्रेषक,

उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा मे

Sh. Rajesh Kumar, Authorised Signatory, M/s SCJS Buildwell LLP, House No. H-38, Ground floor, M2K White House, Sector-57, Gurugram.

क्रमांक (

/एम0बी0

दिनांक 6/7/2022

विषय:-

Report of tehsildar through D.C that the land does not fall under MOEF (Aravalli) as per notification dated 7th May 1992.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले मे उक्त के सम्बन्ध मे तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम से रिर्पोट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, वजीराबाद ने अपने कार्यालय के पत्र कमाकं 431/रीडर दिनांक 27.05.2021 के द्वारा रिर्पोट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमे लिखा है कि वर्णित बिन्दूओ बारे पटवारी हल्का से रिर्पोट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:—

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0/किला न0 20//5(8-0), 6(8-0), 21//1(8-0), 7/2/2/2(0-16), 8/1(1-18), 12/2(4-9), 13(8-0), 14/1/1/1(0-8), 17/2/2/2(0-0), 18/1/2(6-2), 19(8-0), 10/1(0-3), 10/2(3-17) 10/3(4-0), 11/1(4-0), 11/2(4-0), 12/1(3-11), 9(8-0), 20/1(4-0), 20/2(4-0), किता 20 रकबा 89 कनाल 4 मरला (11.15 एकड) मौजा बैरमपुर तहसील वजीराबाद जिला गुरूग्राम दिनाकं 07.05. 1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।

2. उपरोक्त अराजी मुतनाजा 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हिकयत / चकबन्दी तक कभी भी गैर मु0 पहाड, गैर मु0 बीहड / बंजड बीहड / गैर मु0 राडा या रून्द्र नहीं है।

3. उपरोक्त अराजी भूमि मुतनाजा की 07.05.1992 के नोटिफिकेशन के पूर्व तथा पश्चात किस्म भूड—आबी चाही है।

4. अराजी मुतनाजा भूमि मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी शामलात देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।

5. उपरोक्त अराजी भूमि पर किसी न्यायालय में कोई केस का जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है।

6. अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) में नही है।

7. उपरोक्त अराजी भूमि पर रपट न0 346/31.12.2013 से किला न0 21//7 मिन, 8मिन, 13मिन, 14मिन, 17मिन, 18मिन पर धारा 4 हो चुकी है। व धारा 6 व अवार्ड बारे कोई इन्द्राज दर्ज नहीं है। नोट:— पटवारी रिर्पोट अनुसार किला न0 21//17/2/2/2 का रकबा (0–1) से कम है एक मरला से कम रकबे को कम अज मरला लिखा जाता है। जो कि गई रिर्पोट में किला न0 21//17/2/2/2 का रकबा (0–0) लिखा गया है। वो कम अज मरला समझा जावे।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 291—जी0 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनाक 26.04.2021 (M/s SCJS Buildwell LLP) को गावं बहरामपुर, जिला गुरूग्राम के 11.15 एकड एरिया की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन आनलाईन जारी की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमे लिखा है कि Applicant M/s SCJS Buildwell LLP., Land Measuring 11.15 (Acre) having Rect. No. 21 Killa No. 7/2/2/2(00-16), 8/1(01-18), 12/2(04-09), 13(08-00)] 14/1/1/1(00-08), 17/2/2/2(00-00), 18/1/2(06-

02), 19(08-00), 10/1(00-03), 10/2(03-17), 11/2(04-00), 20/1(04-00), 1(08-00), 10/3(04-00), 9(08-00), 12/1(03-11), 11/1(04-00), 20/2(04-00), Rect. No. 20 Killa No. 5(08-00), 6(08-00) Total land measuring 89k-04m or 11.15 Acres In Revenue Estate Village Behrampur, Tehsil Wazirabad, Distt. Gurugram, Haryana made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land A)

It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurgaon is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but B) felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer,

If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s SCJS Buildwell C) LLP whose land is located at Village/City Behrampur District Gurgaon must obtain clearance as

applicable under Forest Conservation Act. 1980. As per the records available with the Forest Department Gurgaon the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project. D)

All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the E)

The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble

It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, F) 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, G)

It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department. H)

This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening 1) Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिर्पोट अनुसार आपको Village Behrampur, Tehsil Wazirabad, District Gurugram की मु0 न0 21 किला न0 7 मिन, 8मिन, 13मिन, 14मिन, 17मिन, 18मिन (जिन किला नम्बरान पर रपट न0 346/31.12.2013 के अनुसार धारा 4 हो की है) को छोडकर बाकि सभी किला नम्बरान की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिर्पोट इस शर्त पर जारी की जानी उचित होगी कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन०ओ०सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बंधित नम्बरो की अरावली एन०ओ०सी० स्वतः रद् समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।